संख्या-05 /2019/1781/38-3-2019-35/2019टी0सी0-2

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-737/बजट/पुनर्विनियोग/2019-20 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुदान संखया-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट) के 01 वेतन मद में हो रही बचत के सापेक्ष पुनर्विनियोग से अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त कार्यालय(मुख्यालय)-08-कार्यालय व्यय, लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त कार्यालय(मुख्यालय)-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान, लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त कार्यालय(मुख्यालय)-49-चिकित्सा व्यय, लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त कार्यालय(मुख्यालय)-42-अन्य व्यय(भारित), एवं लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त कार्यालय(मुख्यालय)-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) में पुनर्विनियोजन के अनुसार संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र कुल धनराशि रू0 35,69,000/-(रू0 पैतीस लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही किया जाए तथा विशेष रूप से यात्रा-व्यय, गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा कार्यालय व्यय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता संबंधी नवीनतम जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाये। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाये। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्रदान करने के बाद ही किया जाये।

(2) पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय संबंधित मदों में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जाए।

(3) बचत की मद में पुन: धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व होगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अंतर्गतलेखा शीर्षक-2515 के अंतर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मद तथा मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-आर0ई0-216/ई-2-961/दस-2019, दिनांक 06-12-2019 में प्राप्त आदेशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय
हरी राम
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 05/2019/1781/38-3-2019-35/2019टी0सी0-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गाई फाइल।

भवदीय
हरी राम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
वित्तीय वर्ष 2019-20
बी0एम0 9 (भाग-1)

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधि से प्रस्तावित संक्रमण।				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट के कोड में)-	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-01-वेतन	66517.25	71.89	71.89	35.69	66481.56
योग:-	66517.25	71.89	71.89	35.69	66481.56
				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट के कोड में)-	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशति कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम(मतदेय)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)-08-कार्यालय व्यय	26.00	48.20	22.20	12.00	38.00
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम(मतदेय)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	3.00	3.50	0.50	0.50	3.50
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम(मतदेय)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)-49-चिकित्सा व्यय।	25.00	56.00	31.00	10.00	35.00
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य	10.00	15.00	5.00	0.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

विकास कार्यक्रम(मतदेय)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)-42-अन्य व्यय (भारित)।					
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम(मतदेय)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)-52-पुनरीक्षति वेतन का अवशेष (राजकीय)।	108.80	121.99	13.19	13.19	121.99
योग:-	172.8		71.89	35.69	208.49

(1) 03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद 01-वेतन के अन्तर्गत धनराशि रू0 71.89 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

(2) 03-विकास आयुक्त (मुख्यालय) के अन्तर्गत मानक मद 08-कार्यालय व्यय, 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान, 49-चिकित्सा व्यय, 42-अन्य व्यय (भारित) एवं 52-पुनरीक्षति वेतन का अवशेष (राजकीय) मद में बजट उपलब्ध न होने के कारण रू0 35.69 लाख की अतिरिक्त बजट की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(3) प्रमाणति किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0 216/ई-2-961/दस-2019, दिनांक 06 .12.2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

हरी राम
उप सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

केशव प्रसाद
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- 05 /2019/1781 /38-3-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषति:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊा
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन (तीन मूलप्रति सहित)।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद उ0प्र0।
5- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
हरी राम
उप सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in